

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज01 जयपुर
(जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, 22 गोदाम, जयपुर
टेलीफैक्स 0141-2222403 ईमेल-dibrajasthan@gmail.com
क्रमांक: प.8(ग)()नियम/डीएलबी/2025/10829 जयपुर, दिनांक : 28/8/25

आदेश

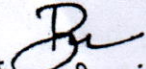
विभाग द्वारा दिनांक 07.04.2025 को नगरपालिका अधिनियम की धारा 69A, 71, 73, 118, 171, 182 व 194 की मण्डल की शक्तियां महापौर/सभापति/अध्यक्ष के अनुमोदन उपरांत आयुक्त/उपायुक्त/कार्यकारी अधिकारी को प्रत्यायोजित करते हुए एवम् ई-पट्टा व्यवस्था लागू करते हुए अनुमोदन उपरांत एकल हस्ताक्षर से पट्टे जारी करने के आदेश दिये गये हैं।

विभाग द्वारा दिनांक 10.02.2023 व 10.01.2024 को 13 सेवाओं की ऑफलाइन व्यवस्था बंद करते हुए प्रकरणों का निस्तारण ऑनलाइन करने के आदेश दिये गये हैं आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

विभाग की जानकारी में लाया गया है कि निम्न 13 सेवाओं का निस्तारण अभी भी नगरीय निकायों द्वारा ऑनलाइन नहीं कर ऑफलाइन किया जा रहा है। ऑफलाइन निस्तारण को राज्य सरकार द्वारा गंभीरता से लिया गया है। अतः सभी निकायों को नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 337 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेशित किया जाता है कि यदि किसी अधिकारी द्वारा प्रकरणों का निस्तारण ऑफलाइन किये जाने की जानकारी विभाग को प्राप्त होने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। ऑफलाइन जारी किये गये आदेश/पट्टे आरम्भ से ही शून्य होंगे।

13 सेवाएं निम्न है:-

क्र. सं.	सेवा	क्र. सं.	सेवा	क्र. सं.	सेवा
1	नाम हस्तांतरण	6	भवन निर्माण स्वीकृति।	11	लीज डीड (पट्टा)/फी होल्ड पट्टा।
2	मोबाईल टॉवर एवं ओ. एफ.सी.।	7	साइनेज लाईसेंस।	12	लीज मनी डीपोजिट /लीज मुक्ति प्रमाण-पत्र।
3	फायर एन.ओ.सी.।	8	90-क की अनुज्ञा, ले-आउट, पट्टा	13	स्ट्रीट वेन्डींग लाईसेंस
4	सीवर कनेक्शन।	9	प्रोपर्टी आई.डी.		
5	ट्रेड लाईसेंस।	10	उप-विभाजन/पुर्नगठन		


जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

10830-11210

क्रमांक: प.8(ग)()नियम/डीएलबी/2025/
प्रतिलिपि:-

जयपुर दिनांक : 28/8/25

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0, जयपुर।
4. वरिष्ठ सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर।
7. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिकाएँ, समस्त राज0।
8. उपनिदेशक स्वायत्त शासन विभाग।
9. आयुक्त/अधिशायी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकाएँ, समस्त राज0।
10. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय निकाय विभाग, समस्त राज0।
11. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्श।
12. प्रोग्रामर आई. टी. सेल निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
13. जनसम्पर्क अधिकारी निदेशालय।
14. सुरक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्श